यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

न अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

A17

न :– राजस्व वाद संख्या 130/2015

नौरगराय } पिसरान श्री रामभज जाति अग्रवाल उम्र क्रमशः 58, 55
हनुमान प्रसाद } निवासी 74 बी ब्लाक श्रीगंगानगर

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. खेताराम } पिसरान श्री मामराज जाति जाट निवासी चक 7 ई छोटी
2. मनीराम } तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. रामप्रताप पुत्र हनमान
4. बलराम पुत्र मनीराम
5. रामलाल पुत्र केसराराम
6. नंदराम पुत्र बृजलाल
7. रामरख पुत्र शिवलाल
8. बलवंत पुत्र बृजलाल
9. भगवाना पुत्र नत्थु
10. चन्दू पुत्र रामलाल

(3 से 10) } अकवाम कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

11. जगदीश } पिसरान शिवलाल अकवाम जाट निवासी 7 ई छोटी
12. अजयंत } तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. भीमसेन पुत्र पूर्णचंद } अकवाम जाट निवासी 7 ई छोटी
14. अनुज पुत्र पूर्णचंद } तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. श्रीमती अनु नागपाल पत्नी अनुज नागपाल जाति अरोड़ा निवासी 1 ई 15 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
16. सुधीर पुत्र बालमुंकंद जिन्दल निवासी 182 बिनोबा बस्ती श्रीगंगानगर।
17. अभिनव पुत्र सुभाष गोदारा साकिन 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. गुरप्रीतसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति खत्री निवासी चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. पृथ्वीराज पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार।
20. बुटासिंह पुत्र गुरबच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
21. हंसराज पुत्र जयमल
22. कृष्णा
23. महेश्वरी
24. गुड्डी
25. पारी
26. गीता
27. लिछमा

(22 से 27) } पिसरान श्री जयमलराम अकवाम कुम्हार चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

28. निलम पत्नी ओमप्रकाश जाति मिढ़ा साकिन 20 थर्ड ब्लाक, पु.आ. श्रीगंगानगर।
29. नन्दकिशोर पुत्र भगवानदास साकिन प्रेमनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
30. बाबूलाल
31. हेतराम
32. जगदीश

(30 से 32) } पिसरान श्री तनसुख जाति सुथार निवासी 7 ई छोटी श्रीगंगानगर

33. सतीश पुत्र रामकुमार जाति गोयल साकिन जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
34. स्टेट आफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

लगातार 2

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता तकसीम

A12/2

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता	वादीगण
श्री विजय रेवाड़ अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 16, 17
श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 29, 30

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21-4-17

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 34 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 5 ई छोटी खतौनी संख्या 157 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 5 में 0.2400 हैक्टर, 6,15,16 सालम 25 में 0.2280 हैक्टर कुल 1.2270 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1/11 में 0.0510 हैक्टर, 1/2 में 0.0500 हैक्टर किला नम्बर 2 में 0.2400 हैक्टर, 3 ता 7 सालम, 8 में 0.2400, 9/1 में 0.5100, हैक्टर 9/2 में 0.0630, 10 में 0.2400, 11 सालम, 12 में 0.2400, 13/4 में 0.0510, 14 में 0.2280, 15 सालम, 16/1 में 0.2190 हैक्टर, 20 सालम, 21 में 0.2280, 25/1 में 0.0510, 25/2 में 0.0320 कुल 4.2740 हैक्टर कुल दोनो मुरब्बों में 5.5010 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, जिसमें वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर 0.506 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज।

साझा खाता रहनें से लगान आबियाना देनें में पानी की भराई व खिंचाई व रकम मामला में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते आती है व सरकारी अनुदान व बैक ऋण आदि में कई प्रकार की खाता साझा होनें में कानूनी दिक्कते आती है इस कारण हक व हिस्सा के अनुसार खाता तकसीम किया जाना आवश्यक व जरूरी है, घरू बंटवारा तथा हक व हिस्सा के अनुसार वादीगण के कब्जा में रकबा निम्न प्रकार है :–

वादीगण 1 का हिस्सा चक 5 ई छोटी :–	मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 9/1 में 0.0250, किला नम्बर 19 में 0.108 कुल 0.2530 हैक्टर भूमि।
वादीगण 2 का हिस्सा चक 5 ई छोटी :–	मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 9/1 में 0.0260, किला नम्बर 12 में 0.1200, किला नम्बर 19 में 0.1070 कुल 0.2530 हैक्टर भूमि।

खाता विभाजन का प्रस्ताव कब्जा के अनुसार मंगवाया जाकर दावा डिक्री किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा खाता अलग कायम कर लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावें। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.11.2015 को प्रतिवादी संख्या 29 व 30 की और से श्री बलकरन सिंह बराड़ अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात दिनांक 09.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 17 स्वयं उपस्थित आये तथा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 की और से श्री विजय रेवाड़ अभिभाषक उपस्थित आये। शेष प्रतिवादीगणों द्वारा निर्धारित तिथी को उपस्थित नहीं होनें पर दिनांक 09.12.2015 के सीमा सन्देश अखबार में साया करवाया गया जिसकी प्रति दिनांक 19.02.2016 को वकील वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई अखबार में नोटिस के साया होनें के एक माह पश्चात भी प्रतिवादीगणों के उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15, 18 ता 27, 30 ता 33 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

लगातार 3

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

A17/3

प्रतिवादी संख्या 17 अभिनव पुत्र सुभाष गोदारा साकिन 6 जैड तहसील व जिला [illegible]नगर द्वारा जरिये अभिभाषक श्री विजय रेवाड़ जबाब दावा प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन [illegible] कि प्रतिवादी संख्या 16 से वाके चक 5 ई छोटी के मुश्तर्का खाता के मुरब्बा नम्बर 2 [illegible] में प्रतिवादी संख्या 16 के हिस्से में से मिन प्रतिवादी नें दो विक्रय विलेख द्वारा 0.157 [illegible]र रकबा खरीद किया था। प्रतिवादी संख्या 16 नें कब्जा काश्त के अनुसार मुरब्बा नम्बर [illegible] के किला नम्बर 4,7,14,17 के रकबा में प्रतिवादी संख्या 16 नें मुख्य सड़क की सेन्टर [illegible]इन से 75 फुट जगह छोड़कर वैकल्पिक नक्शानुसार कृषि भाग भुखण्ड बनाये हुए है। इन [illegible]खण्डों में से मिन प्रतिवादी नें विक्रय विलेख द्वारा रकबा पैमाईशी 10578.53 वर्गफुट (यानि [illegible]82 हैक्टर) (जो नक्शा में भाग संख्या एस 4 से एस 10) (किला नम्बर 14 में स्थित है।) [illegible] दर्शाये हुए है। जिसका फ्रन्ट 110 फुट भाग मुख्य मार्ग हनुमानगढ़ रोड़ पर लगता हुआ [illegible] मिन प्रतिवादी द्वारा खरीदा हुआ है। दूसरा विक्रय विलेख में बनाये गये भूखण्डों रकबा [illegible]माईशी 6286 वर्गफुट (0.0584 हैक्टर) जो नक्शें के भाग संख्या एस 12 से एस 15) (किला [illegible]म्बर 7 व 14 में स्थित) से दर्शाये हुए है, जिसका फ्रन्ट 30 फुट भाग मुख्य मार्ग हनुमानगढ़ [illegible]र लगता हुआ है, मिन प्रतिवादी द्वारा खरीदा हुआ है। इस प्रकार मिन प्रतिवादी, प्रतिवादी [illegible]ख्या 16 से खरीदी गई 0.157 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मिन प्रतिवादी के कब्जा अनुसार वादीगण के साथ–साथ मिन प्रतिवादी का मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 7 व 14 के कृषि [illegible]ाग भूखण्ड अनुसार खाता विभाजन कर दिया जावे।

प्रतिवादी संख्या 28 व 29 क्रमशः निलम पत्नी ओमप्रकाश जाति मिढ़ा तथा नन्द किशोर पुत्र भगवानदास द्वारा जरिये अभिभाषक श्री बलकरणसिंह जबाब दावा प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 28 व 29 के नाम चक 5 ई छोटी की जमाबन्दी के खाता संख्या 157 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1/2 में 0.050 हैक्टर में से 0.0054 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज है और मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त रकबा हनुमानगढ़ रोड़ के उपर दक्षिण दिशा की और चेताली एन्कलेव के सामने खुलता हुआ है। काऊँटर क्लेम स्वीकार किया जाकर मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1/2 के दर्ज रकबा 0.0054 हैक्टर बहिस्सा किला वाईज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 16, 17, 28, 29 में कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात की कोई आवश्यक्ता नहीं होनें के कारण प्रारम्भिक डिग्री के लिये दिनांक 30.08.2016 को बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् जबाबदावा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार तथा अपनी बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार, श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाये जाकर वाद डिक्री कर दिया जावें। वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बहस पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार चक 5 ई छोटी खतौनी संख्या 157 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 5 में 0.2400 हैक्टर, 6,15,16 सालम 25 में 0.2280 हैक्टर कुल 1.2270 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1/11 में 0.0510 हैक्टर, 1/2 में 0.0500 हैक्टर किला नम्बर 2 में 0.2400 हैक्टर, 3 ता 7 सालम, 8 में 0.2400, 9/1 में 0.5100, हैक्टर 9/2 में 0.0630, 10 में 0.2400, 11 सालम, 12 में 0.2400, 13/4 में 0.0510, 14 में 0.2280, 15 सालम, 16/1 में 0.2190 हैक्टर, 20 सालम, 21 में 0.2280, 25/1 में 0.0510, 25/2 में 0.0320 कुल 4.2740 हैक्टर कुल दोनो मुरब्बों में कुल 5.5010 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

लगातार 4

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

A17/4

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा [illegible]ली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र प्राथमिक रुप से स्वीकार [illegible] जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 16, 17 व 28, [illegible]के भूमि विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से जमाबन्दी में अंकित [illegible]ता व कब्जा के अनुसार मय नक्शा–वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी [illegible]कारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ तथा बैक ऋण के संबंध [illegible]विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 4592 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा [illegible]ाजन प्रस्ताव भिजवाया गया अपनें पत्रांक 40 दनांक 04.01.2017 के द्वारा अवगत करवाया [illegible]या है, मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 9/0.051, 12/.250, 19/.210 को एक चार [illegible]वारी में काम्पेक्ट में कवर किया हुआ है। मौके पर कोई विभाजन नहीं है। इसी प्रकार [illegible]ला नम्बर 7/.027, 14/.129 भी मौके पर खाली है, एवम् निर्माण हेतु पक्की ईन्टे पड़ी [illegible]। तथा इनमें अलग से कोई विभाजन रेखा नहीं है। संयुक्त खाते के शेष रकबा पर आबादी [illegible]सी हुई है। चूँकि उक्त रकबा कृषि कार्य के उपयोग में न होकर अन्यथा उपयोग में हो रहा [illegible]। इस हेतु पटवारी हल्का को अलग से आर.टी.एक्ट की धारा 177 की कार्यवाही अलग से प्रस्तावित करनें हेतु निर्देशित किया गया है।

विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में उभयपक्ष द्वारा सहमति जाहीर करते हुए कथन किया कि उभयपक्ष द्वारा अपनी भूमि का किसी भी गैर कृषि कार्य का उपयोग नहीं किया गया है। मात्र अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु चार दिवारी की गई है। जो गैर कृषि उपयोग में निर्माण की श्रेणी में नहीं आती है। भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि है तथा मौके पर भी किसी प्रकार का गैर कृषि प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार कृषि भूमि का विभाजन किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख अनुसार कृषि भूमि है तथा भूमि पर किसी प्रकार का गैर कृषि प्रयोजनार्थ कोई निर्माण आदि नहीं किया गया है अतः भूमि का वर्तमान स्थित अनुसार कृषि भूमि मानते हुए विभाजन किया जाना न्यायोचित है। यदि भविष्य में किसी प्रकार को बिना सक्ष्म अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग किया जाना है, तो नियमानुसार आर.टी.एक्ट की धारा 177 के तहत तहसीलदार श्रीगंगानगर कार्यवाही करनें हेतु स्वतन्त्र है।

अतः तहसीलदार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार तथा वादी/प्रतिवादी संख्या 16, 17, 28, 29 की सहमती के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वादी एवम् प्रतिवादी सख्या 16, 17, 28, 29 के मध्य चक 5 ई छोटी के चक 5 ई छोटी खतौनी संख्या 157 की भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 नौरगराय पुत्र श्री रामभज जाति अग्रवाल निवासी 74 बी ब्लाक श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर	3	9/1 का 0.003, 12 का 0.128, 19/1 का 0.122	0.253 हैक्टर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

लगातार 5

A17/5

2. वादी संख्या 2 हनुमान प्रसाद पुत्र श्री रामभज जाति अग्रवाल निवासी 74 बी ब्लाक श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर	3	9/1 का 0.048, 12 का 0.112, 19/1 का 0.093	0.253 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 17 अभिनव पुत्र सुभाष गोदारा साकिन 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर	3	7 का 0.027, 14 का 0.130,	0.157 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 28 व 29 निलम पत्नी औमप्रकाश जाति मिढ़ा साकिन 20 थर्ड ब्लाक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर व नन्दकिशोर पुत्र भगवानदास साकिन प्रेमनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर	3	1/2 का .0054	0.0054 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादी एवम् प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि को अलग–अलग हिस्सा अनुसार दर्ज किया जाकर लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21-4-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)